

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा दिनांक 20-03-2021

पुलिस उप महानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा व प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी चौरी चौरा के कुशल दिशा निर्देशन मे मु0असं0 84/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त कमलेश भारती पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी बालबुजुर्ग थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 20/03/2021 को उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव मय हमराही द्वारा अभियुक्त घर से बहद ग्राम बालबुजुर्ग कच्ची अपमिश्रित शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण निम्न प्रकार है –

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता – कमलेश भारती पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी बालबुजुर्ग थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

बरामदगी- प्लास्टिक की 20,20 लीटर की कुल 5 जरिकेन मे लगभग 100 लीटर तरल पदार्थ भरा हुआ व एक एक पालिथीन मे क्रमशः करीब 500 ग्राम नौसादर व एक किलोग्राम यूरिया बरामद होना

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक -- अभियुक्त का घर बहद ग्राम बाल बुजुर्ग दिनांक 20/03/21 समय करीब 10.50 बजे

आपराधिक इतिहास -1. मु0असं0 84/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 थाना चौरी चौरी जनपद गोरखपुर

2.मु0अ0सं0 302/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
- 2.हे0का0 अमित शर्मा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
- 3.का0 अजय कुमार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर